विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 242-A

दुर्ग, दिनांक 27/07/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 119
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक —**1001990713**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27 / 07 / 2026 को पारित

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट / सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001990713, स्वीकृत भार 8 किलोवाट, में विद्युत बिल सही नहीं होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है रू—

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती / स्ट्रीट लाइट के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 8 किलोवाट है।
3. अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक की शिकायत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जनवरी 2023 से जुलाई 2025 की अवधि में मीटर डिफेक्टिव रहने के दौरान विद्युत खपत का औसत बिना किसी ठोस एवं युक्तिसंगत आधार के निर्धारित कर बिलिंग की गई है। अतः उक्त अवधि की बिलिंग का पुनः परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है तथा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त कर संबंधित राशि का समायोजन किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन का जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक स्टॉपधडिफेक्टिव रहा तथा अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं रू–

1. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में जारी विद्युत बिल सही एवं युक्तिसंगत था?

2. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में आवेदक से पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली किया जाना उचित था?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्र एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर जनवरी 2023 से जुलाई 2025 की अवधि में डिफेक्टिव/स्टॉप रहा।

उक्त अवधि में अनावेदक द्वारा औसत खपत 1216 यूनिट प्रतिमाह निर्धारित कर बिलिंग की गई है। तत्पश्चात अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद उपलब्ध वास्तविक खपत के आधार पर औसत खपत लगभग 1401 यूनिट प्रतिमाह पाई गई है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

मीटर गणना पत्रक एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि मीटर जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक स्टॉप/डफेक्टिव स्थिति में रहा। इस अवधि में वास्तविक पावर फैक्टरध/रएक्टिव ऊर्जा से संबंधित मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

इसके बावजूद उक्त अवधि में उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

फोरम का मत है कि जब मीटर डिफेक्टिव था और संबंधित अवधि की वास्तविक विद्युत खपत/पावर फैक्टर का विश्वसनीय मीटर डाटा उपलब्ध नहीं था, तब केवल अनुमान के आधार पर पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना उचित नहीं है। अतः जनवरी 2023 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाया गया पावर फैक्टर सरचार्ज निरस्त किया जाना उचित है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है रू–

1. बी.पी. क्रमांक 1001990713 में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक की मीटर डिफेक्टिव की अवधि की बिलिंग का पुनर्गणना किया जाए।

2. उक्त पुनर्गणना में औसत मासिक खपत 1401 यूनिट निर्धारित की जाए, जो स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक औसत खपत के आधार पर निर्धारित की गई है।

3. जनवरी 2023 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को पूर्णतः निरस्त किया जाए।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक/उपभोक्ता को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश पारित किया गया।

8. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग